

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन, लि०,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संकल्प ज्ञापांक प्र०3-विविध नि०-10/2016-5363 दिनांक 18.10.2017 द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के प्रशासनिक संरचना का पुनर्गठन किया गया है। इसके आलोक में निगम के आदेश ज्ञापांक 11186 दिनांक 03.11.2017 द्वारा पुनर्गठित संरचना को लागू किया गया है। प्रशाखा एवं संचिकाओं के सुचारु रूप से निष्पादन हेतु निगम मुख्यालय को निम्न रूप से प्रक्षेत्र, प्रभाग एवं शाखाओं में त्रिस्तरीय संरचना पुनर्गठित की जाती है :-


1. निगम मुख्यालय मुख्य रूप से दो प्रक्षेत्र में विभक्त होगा।
(क) जन वितरण प्रक्षेत्र (ख) अधिप्राप्ति प्रक्षेत्र
2. प्रक्षेत्र से नीचे निगम मुख्यालय आठ प्रभागों में विभक्त होगा पुनः इसके नीचे निगम मुख्यालय 13 शाखाओं में विभक्त होगा एवं विभिन्न प्रशाखाओं में प्रबंधक/लेखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायकों के बीच में कार्यों का वितरण प्रशाखा द्वारा अनुमोदनोपरांत किया जायेगा।
3. प्रशाखाओं द्वारा संबंधित संचिकाओं का संधारण किया जायेगा एवं पुनर्गठित संरचना एवं प्रक्षेत्र के अनुरूप एवं अनुलग्नक - (1) के अनुरूप संचिकाओं का निष्पादन किया जायेगा। इसकी विवरणी निम्न प्रकार होगी।

प्रक्षेत्र (क्र०)	प्रभाग का नाम एवं क्रमांक	शाखा का नाम एवं क्रमांक
(क) जन वितरण प्रक्षेत्र	(i) भंडारण प्रभाग	1 भंडारण शाखा
	(ii) जन वितरण प्रणाली प्रभाग	2 जन वितरण प्रणाली शाखा
		3 परिवहन शाखा
		4 वित्त लेखा एवं बजट शाखा
	(iii) वित्त प्रभाग	5 अंकेक्षण शाखा
		6 दावा शाखा
(ख) अधिप्राप्ति प्रक्षेत्र	(iv) अधिप्राप्ति प्रभाग	7 अधिप्राप्ति एवं गुण नियंत्रण शाखा
	(v) आधुनिकीकरण प्रभाग	8 आधुनिकीकरण शाखा
	(vi) सामान्य प्रशासन प्रभाग	9 प्रशासन शाखा
		10 क्रय एवं विधि शाखा
		11 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा
(vii) सतर्कता प्रभाग	12 सतर्कता शाखा	
(viii) तकनीकी प्रभाग	13 तकनीकी शाखा	

इसी प्रकार जिला स्तर पर निम्न रूप से जिला प्रबंधक का कार्यालय प्रशाखाओं में विभक्त होगा जिसकी विवरणी अनुलग्नक - (2) के रूप में है।

प्रक्षेत्र	प्रशाखा का नाम एवं क्रमांक
(क) अधिप्राप्ति	(i) अधिप्राप्ति शाखा
(ख) लेखा	(ii) लेखा शाखा
(ग) जन वितरण	(iii) जन वितरण शाखा


पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य अधिप्राप्ति एवं जन वितरण शाखा को अलग करना है। अतः तदनुसार जिला स्तर पर कार्यों का वितरण किया जायेगा। कृपया उपरोक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 3002:88-01-16 - 11591


दिनांक-16/11/17

प्रतिलिपि-सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/प्रबंध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय एवं सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रबंध निदेशक

31/05/2024


जिला स्तर पर प्रशासनिक संरचना (पुनर्गठित)



16/11/24

21/11/2015-1

राज्य स्तर पर संरचना (पुनर्गठित)



Handwritten signature and date: 21/11/15